



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 20, बुधवार, शाके 1941-सितम्बर 11, 2019
Bhadra 20, Wednesday, Saka 1941-September 11, 2019

भाग 1 (क)

नियुक्तियां, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां।
अल्प संख्यक मामलात एवं ववफ विभाग

अधिसूचना

जयपुर सितम्बर 10, 2019

संख्या प.4(11)वक्फ/2010/पार्ट:-केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (वर्ष 1995 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 14(9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा नीचे वर्णित व्यक्तियों को राजस्थान वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनके पद की अवधि केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 21 के प्रावधानान्तर्गत वर्तमान वक्फ बोर्ड के शेष कार्यकाल तक के लिये रहेगी।

क्र. सं.	नाम सदस्य	निर्वाचक मण्डल का नाम	श्रेणी
1	श्री खानू खान बुधवाली	मनोनीत	धारा 14(1)(c)
2	श्रीमती अस्मा पत्नी श्री सादिक खॉन	मनोनीत	धारा 14(1)(d) (सुन्नी)
3	डॉ. राणा जैदी पत्नी श्री हैदर जैदी	मनोनीत	धारा 14(1)(d) (शिया)

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,
अपर्णा अरोरा,
प्रमुख शासन सचिव ।

26

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर